NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 15-12-2025

विषय सूची

» बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025
» सरकार द्वारा फेक न्यूज़ के विरोद्ध फ्रेमवर्क का सुदृढीकरण
» "विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक"
» राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम के लिए ICMR ने डेमोव मॉडल अपनाया
» सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए पहल

संक्षिप्त समाचार

» सरदार वल्लभभाई पटेल
» बाइसन हॉर्न मारिया डांस
» ब्रिज समिट 2025
» सुपरनोवा स्टेंट्स
» FDA द्वारा गोनोरिया के उपचार के लिए दो ओरल थेरेपी को स्वीकृति प्रदान
» पोंडुरु खादी
» महाक्राइमOS AI
» लूनरक्रीट

बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025** को स्वीकृति दी।

परिचय

- यह विधेयक भारत के बीमा ढांचे को पुनर्गठित करने का प्रयास करता है, जिसमें **बीमा अधिनियम, 1938**, **भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956**, और **भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** में परिवर्तन प्रस्तावित हैं।
- **उद्देश्य:** आधुनिकीकरण, व्यापक कवरेज और सुदृढ़ नियामक निगरानी।

प्रमुख विशेषताएँ

- **100% एफडीआई:** संशोधन भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करेगा।
  - इससे स्थिर और सतत निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलेगी और '2047 तक सबके लिए बीमा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- **विदेशी पुनर्बीमाकर्ता:** विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नेट ओन्ड फंड्स (जिसमें इक्विटी पूंजी, मुक्त भंडार, शेयर प्रीमियम खाते का शेष और अधिशेष दर्शाने वाले पूंजी भंडार शामिल हैं) की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
  - इसका उद्देश्य अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रवेश को आसान बनाना और देश में पुनर्बीमा क्षमता का विस्तार करना है।
  - यह छूट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए है, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की **भारतीय पुनर्बीमा निगम (GIC Re)** द्वारा प्रभुत्व में है।
- **एलआईसी को अधिक अधिकार:** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को अधिक परिचालन स्वतंत्रता दी जा रही है।
  - इसे बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन के नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अधिकार मिलेगा, जिससे तीव्र विस्तार, बेहतर प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय निगरानी संभव होगी।
- **IRDAI को अधिक अधिकार:** भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को प्रवर्तन शक्तियों में वृद्धि दी जा रही है, जिसमें बीमाकर्ताओं या मध्यस्थों द्वारा अर्जित अवैध लाभ को वापस लेने का अधिकार शामिल है।
  - इससे IRDAI की दंडात्मक क्षमता **SEBI** के बराबर हो जाएगी, जिसके पास पहले से ही उल्लंघनकर्ताओं से अवैध लाभ वसूलने की शक्ति है।
- **वन-टाइम पंजीकरण प्रणाली:** विधेयक बीमा मध्यस्थों के लिए एक बार पंजीकरण प्रणाली का प्रस्ताव करता है, जिससे बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त होगी और अनुपालन सरल होगा।
- **व्यवसाय करने में आसानी:** बीमा कंपनियों में चुकता इक्विटी पूंजी के हस्तांतरण के लिए IRDAI की मंजूरी की आवश्यकता की सीमा 1% से बढ़ाकर 5% की जाएगी।
  - इससे शेयर हस्तांतरण सुगम होगा और नियामक बाधाएँ कम होंगी।
- **दंड:** विधेयक दंड लगाने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रस्तुत करता है, जिससे प्रवर्तन अधिक तार्किक, पारदर्शी और सभी मामलों में सुसंगत होगा।

बीमा संशोधन विधेयक में प्रमुख चूक

- **संयुक्त लाइसेंस का अभाव:** विधेयक संयुक्त लाइसेंस की अनुमति नहीं देता, जिसका अर्थ है कि बीमाकर्ताओं को केवल जीवन बीमा या केवल सामान्य बीमा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ही कार्य करना होगा।
  - इससे दशकों पुरानी संरचना बनी रहती है और उपभोक्ताओं की व्यापक और सुविधाजनक कवरेज की मांग पूरी नहीं होती।
- **न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं में कोई ढील नहीं:** विधेयक नए प्रवेशकों के लिए उच्च सीमा बनाए

रखता है—बीमाकर्ताओं के लिए ₹100 करोड़ और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए ₹200 करोड़।

- ये पूंजी मानक छोटे, क्षेत्रीय और विशेष बीमाकर्ताओं के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं।

- **कई पूर्व सुधार प्रस्ताव हटाए गए:** पूर्व मसौदों में शामिल प्रावधान—जैसे बीमाकर्ताओं को अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की अनुमति, निवेश मानदंडों में अधिक लचीलापन, और एजेंटों को कई बीमाकर्ताओं की नीतियाँ बेचने की अनुमति—अनुपस्थित हैं।
  - इससे नए राजस्व स्रोत सीमित होते हैं, उपभोक्ता विकल्प घटते हैं और बीमा वितरण में दक्षता कम होती है।
- **कैप्टिव बीमा कंपनियों पर चुप्पी:** विधेयक बड़े निगमों को कैप्टिव बीमाकर्ता स्थापित करने की अनुमति देने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को संबोधित नहीं करता।
  - इससे भारत का जोखिम-प्रबंधन ढांचा अधूरा रहता है और निगमों को बाहरी या विदेशी संरचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, बजाय घरेलू विनियमित कैप्टिव बीमा समाधानों के।

विधेयक का महत्व

- **100% एफडीआई सीमा एक बड़ा सुधार:** 100% एफडीआई की अनुमति बीमा क्षेत्र में पर्याप्त विदेशी पूंजी आकर्षित करने की संभावना है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीक तक पहुँच:** पूर्ण विदेशी स्वामित्व भारतीय बीमाकर्ताओं को उन्नत अंडरराइटिंग मॉडल, डिजिटल क्लेम प्लेटफ़ॉर्म और परिष्कृत जोखिम-मूल्यांकन उपकरण अपनाने में सक्षम बनाएगा।
- **नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा:** विदेशी भागीदारी में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी, उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक ग्राहक-केंद्रित एवं तकनीक-आधारित बीमा समाधान विकसित होंगे।

Source: IE

सरकार द्वारा फेक न्यूज़ के विरोद्ध फ्रेमवर्क का सुदृढीकरण

संदर्भ

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार ने मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर फेक न्यूज़ और डीप फेक्स से निपटने के लिए ढाँचे को सुदृढ़ किया है।

परिचय

- **फेक न्यूज़** वह सूचना है जो झूठी या भ्रामक होती है और समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है।
- **डीप फेक्स** डिजिटल मीडिया — वीडियो, ऑडियो और चित्र होते हैं जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके संपादित एवं हेरफेर किया जाता है।
  - इनमें अत्यधिक यथार्थवादी डिजिटल फर्जीकरण शामिल होता है और इनका उपयोग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने, सबूत गढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है।

भारत की दुष्प्रचार चुनौती

- **बढ़ती इंटरनेट पहुँच:** भारत 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करने की राह पर है, जिससे उचित विनियमन के अभाव में यह दुष्प्रचार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
- **विविध परिदृश्य, उच्च जोखिम:** भारत की राजनीतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता हेरफेर किए गए नैरेटिव, मतदाता प्रभाव एवं सामाजिक अशांति के लिए उपजाऊ भूमि बनाती है।
- **पारंपरिक मीडिया पर विश्वास में गिरावट:** पारंपरिक समाचार स्रोतों पर जनता का विश्वास घट रहा है।
  - नागरिक समाचार के लिए तीव्रता से सोशल मीडिया पर निर्भर हो रहे हैं।
  - अप्रमाणित जानकारी तीव्रता से फैलती है और प्रायः उस पर भरोसा किया जाता है क्योंकि यह मित्रों या परिवार से आती है।
- **युवा वर्ग जोखिम में:** भारत का युवा वर्ग तीव्रता से भ्रामक जानकारी के संपर्क में आ रहा है।

- कई युवाओं में डिजिटल साक्षरता और मीडिया उपभोग कौशल की कमी है।

कानूनी और नियामक परिदृश्य

- **संवैधानिक सीमाएँ:** अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 19(2) मानहानि, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
  - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और उचित प्रतिबंधों (अनुच्छेद 19(2)) के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:** टीवी चैनल **केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995** के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का पालन करते हैं।
  - यह अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर असत्य या संकेतात्मक इशारों और आंशिक सत्य वाली सामग्री को निषिद्ध करता है।
  - अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं।
    - स्तर I: प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन
    - स्तर II: प्रसारकों की स्व-नियामक संस्थाओं द्वारा नियमन
    - स्तर III: केंद्रीय सरकार द्वारा निगरानी तंत्र
- **डिजिटल मीडिया:** डिजिटल मीडिया पर समाचार और सामयिक विषयों के प्रकाशकों के लिए **आईटी नियम 2021** के अंतर्गत आचार संहिता बनाई गई है।
  - मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं को भ्रामक, स्पष्ट रूप से झूठी या असत्य जानकारी साझा करने से रोकना होगा।
  - प्लेटफ़ॉर्म्स द्वारा शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो झूठी या मानहानिकारक सामग्री से संबंधित शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में संभालते हैं।
- **प्रिंट मीडिया: भारतीय प्रेस परिषद (PCI)** द्वारा जारी पत्रकारिता आचार संहिता फर्जी, मानहानिकारक या भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को रोकती है।
  - PCI शिकायतों की जाँच करता है और समाचार पत्रों, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी, फटकार या निंदा जैसी कार्रवाई करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** धारा 69A सरकार को सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति देती है।
- **मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:** सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करता है।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** जिसे **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत में फिल्मों को सेंसर करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप की चुनौतियाँ

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विनियमन का संतुलन:** अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता को दबा सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन हानिकारक सामग्री फैला सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सामग्री मॉडरेशन और सेंसरशिप निर्णयों में प्रायः स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी होती है, जिससे दुरुपयोग की चिंताएँ बढ़ती हैं।
- **अधिकार क्षेत्रीय मुद्दे:** कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भारत के बाहर से संचालित होते हैं, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
- **प्रौद्योगिकीगत प्रगति:** डिजिटल मीडिया का तीव्र विकास सुसंगत और निष्पक्ष विनियमन को जटिल बनाता है।
- **नैतिक चिंताएँ:** अश्लीलता कानूनों की व्यक्तिपरक प्रकृति मनमानी सेंसरशिप का कारण बन सकती है।

सरकारी पहल

- **फैक्ट चेक यूनिट:** इसे **प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)** के अंतर्गत 2019 में स्थापित किया गया।

- इसका गठन सरकार से संबंधित "फर्जी, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री" को चिन्हित करने के लिए किया गया था।

- **सहयोग पोर्टल:** इसे **गृह मंत्रालय** द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया।
  - यह पोर्टल मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है, ताकि अवरोध आदेशों को अधिक कुशलता से जारी किया जा सके।

आगे की राह

- **तकनीकी क्षमता और निगरानी को सुदृढ़ करना:** एल्गोरिद्म डेवलपर्स को प्रशिक्षित करें ताकि AI सिस्टम में पक्षपात और हेरफेर कम हो।
  - जनरेटिव AI प्रथाओं की निगरानी और विनियमन के लिए AI पर्यवेक्षी बोर्ड एवं परिषद स्थापित करें।
- **जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** डिजिटल साक्षरता अभियानों का विस्तार करें ताकि नागरिक दुष्प्रचार की पहचान कर सकें और उसका प्रतिरोध कर सकें।
  - शैक्षिक सुधारों और जनसंपर्क के माध्यम से आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय गठबंधन बनाना:** दुष्प्रचार की वैश्विक प्रकृति का सामना करने के लिए सीमा-पार गठबंधनों को बढ़ावा दें।
  - सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सर्वोत्तम प्रथाएँ, खतरे की जानकारी और नियामक ढाँचे साझा करें।

Source: AIR

"विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक"

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक को स्वकृति प्रदान की है।

परिचय

- यह विधेयक उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत नियामक का प्रस्ताव करता है, जो वर्तमान वैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को प्रतिस्थापित करेगा।
  - UGC गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा की देखरेख करता है, AICTE तकनीकी शिक्षा की निगरानी करता है और NCTE शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय है।

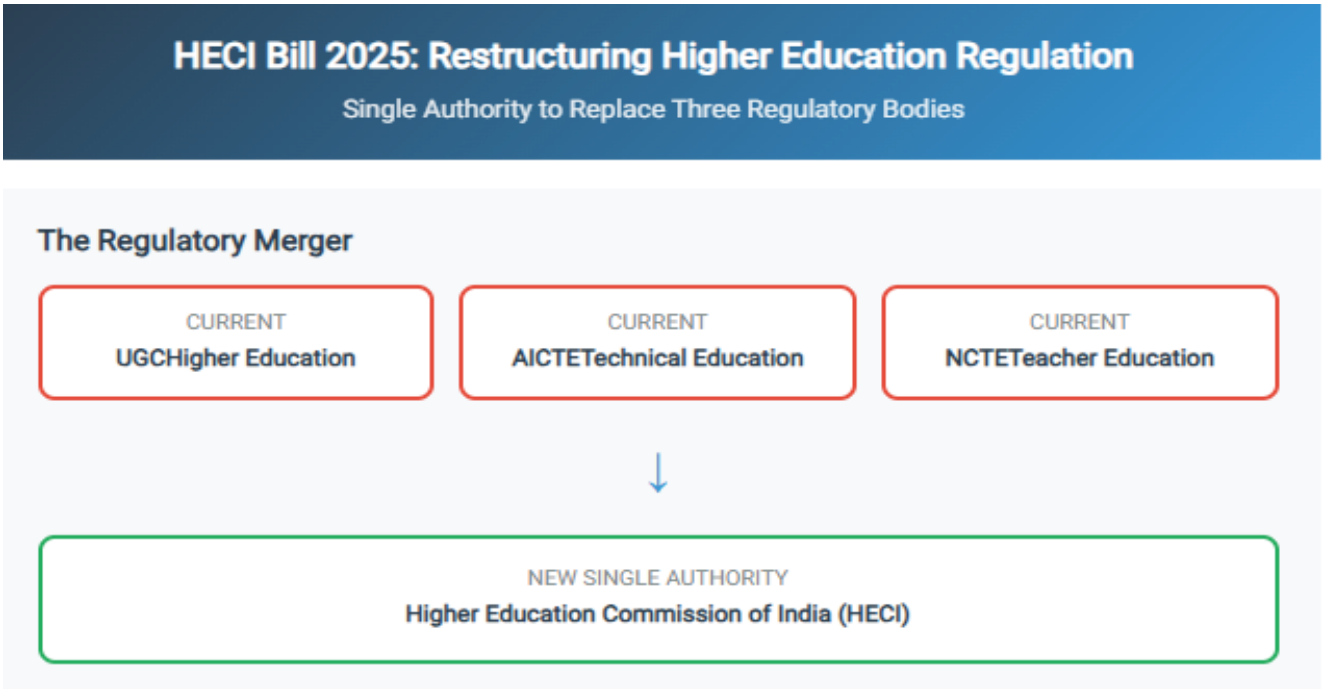

- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों का अनुसरण करता है, जिसमें भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में शासन और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल नियामक प्राधिकरण का सुझाव दिया गया था।
- नया नियामक तीन प्रमुख भूमिकाएँ निभाएगा: नियमन, मान्यता और व्यावसायिक मानकों का निर्धारण।
- इसमें HECI (भारत उच्च शिक्षा आयोग) के चार वर्टिकल्स का प्रस्ताव किया गया है।

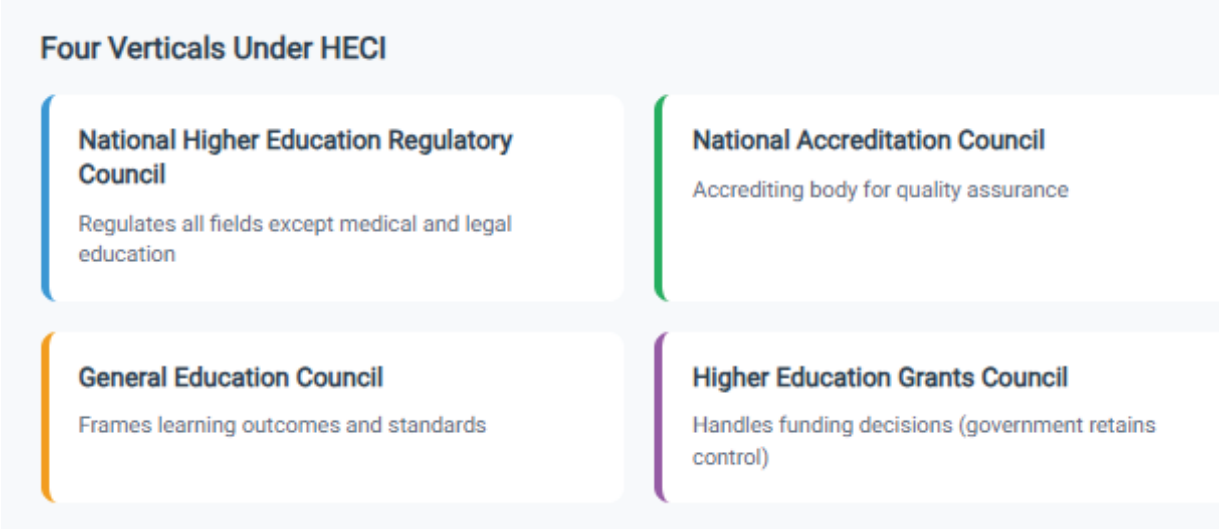

- इस निकाय की भूमिका वित्तपोषण में नहीं होगी।
  - वित्तपोषण की स्वायत्तता प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रस्तावित है।
- नया नियामक निकाय मेडिकल और विधि महाविद्यालयों की निगरानी नहीं करेगा।
  - चिकित्सा और विधिक शिक्षा अपने-अपने परिषदों द्वारा विनियमित होती रहेगी और HECI के नियामक दायरे से बाहर रहेगी।

महत्व

- वर्तमान विधेयक NEP 2020 की दृष्टि को लागू करने के लिए एक नए प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें तकनीकी और शिक्षक शिक्षा की निगरानी को नए प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल करते हुए अधिक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।
- NEP 2020 के अंतर्गत एकल नियामक की अवधारणा को उच्च शिक्षा शासन के व्यापक पुनर्संयोजन का हिस्सा बताया गया था।
- नीति ने नियामक कार्यों को अलग करने की सिफारिश की थी ताकि दोहराव कम हो, दक्षता बढ़े और जवाबदेही बनी रहे।

Source: IE

राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम के लिए ICMR ने डेमोव मॉडल अपनाया

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

- पूर्वी असम के शिवसागर का डेमोव मॉडल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत सर्पदंश रोकथाम और प्रबंधन की सफल प्रणालियों में से एक के रूप में चुना गया है।
  - यह परियोजना "ज़ीरो स्नेकबाइट डेथ इनिशिएटिव: सामुदायिक सशक्तिकरण और सर्पदंश विषाक्तता शमन हेतु सहभागिता" कहलाती है।

सर्पदंश विषाक्तता

- सर्पदंश विषाक्तता (सर्प के काटने से होने वाला ज़हर) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उच्च-प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है।
- **अनुमानत:** विश्वभर में हर वर्ष 1.8 – 2.7 मिलियन लोग सर्पदंश से विषाक्त होते हैं।
- **भारत में सर्पदंश:** भारत में लगभग 90% सर्पदंश चार प्रमुख प्रजातियों (Big Four) से होते हैं — कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर।

- भारत में अनुमानित 30-40 लाख सर्पदंश मामलों में से लगभग 58,000 मृत्युएँ प्रतिवर्ष होती हैं।
- सर्पदंश से होने वाली मौतें अधिकतर (48%) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) के दौरान होती हैं।
- लगभग 70% सर्पदंश मृत्यु नौ राज्यों में होती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

- भारत में सर्प की 310 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 66 को विषैले या हल्के विषैले के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - पहले 'बिग फोर(Big Four)' को अधिकांश विषैले काटने के लिए जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि अन्य प्रजातियाँ भी विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सर्पदंश भार में योगदान करती हैं।

इरुलर समुदाय

- इरुलर समुदाय कुशल सर्प पकड़ने वाले लोग हैं और नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रूप से सर्पों से विष निकाल सकते हैं।
- उनकी विशेषज्ञता भारत में एंटीवेनम उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विष की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

Source: TH

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए पहल

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में सुधार के आगामी चरण की नीति दिशा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, जो दो समानांतर मार्गों पर आधारित होगी—**कंसोलिडेशन 2.0** और सरकार के स्वामित्व का क्रमिक पतला करना।

सुधार क्या हैं?

- **कंसोलिडेशन 2.0:** सरकार पाँच सबसे छोटे PSBs को मध्यम आकार के बैंकों के साथ विलय करने पर विचार कर रही है, जिसके उद्देश्य हैं;
  - पर्याप्त पैमाने, बैलेंस शीट की मजबूती और बाज़ार उपस्थिति वाले बैंक बनाना।
  - PSB परिदृश्य में विखंडन को कम करना।
- **स्वामित्व सुधार:**
  - **FDI सीमा वृद्धि:** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करना।
  - **धीरे-धीरे हिस्सेदारी कम करना:** स्वतंत्र पूंजी एकत्रित करने की अनुमति देने के लिए सरकार की हिस्सेदारी को लगभग 51% तक कम करना।
  - **निजीकरण:** दो PSBs के निजीकरण के प्रस्तावों को पुनः प्रस्तुत करना।
  - **संचालनात्मक स्वायत्तता:** PSB बोर्डों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना।

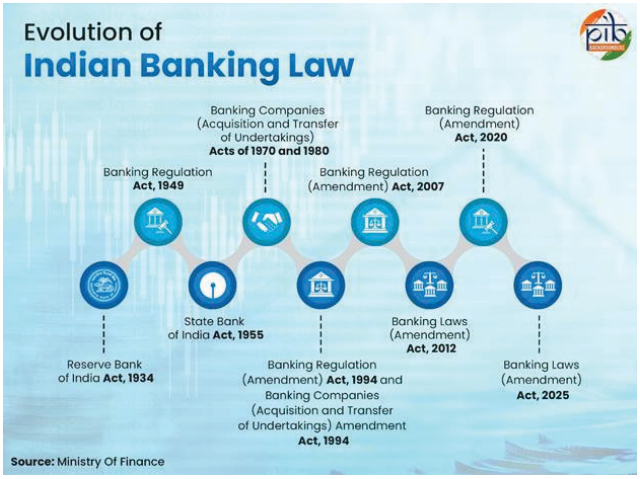

भारत के बैंकों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले कारक

- **एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR):** 2015 में शुरू किया गया, जिसने बैंकों को अपने ऋण खातों की वास्तविक स्थिति को पहचानने के लिए मजबूर किया, छिपे हुए NPA को उजागर किया और पर्यवेक्षी ढाँचे को सुदृढ़ किया।
- **प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क:** कमजोर बैंकों की स्थिति को पुनर्स्थापित करने में सहायता की, जिसके बाद 2020 तक 27 PSBs का विलय कर 12 किया गया।
- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC):** 2016 में प्रस्तुत की गई, साथ ही पूरक अदालत-बाह्य समाधान तंत्रों ने भारत की ऋण संस्कृति को बदल दिया और वसूली प्रक्रियाओं में सुधार किया।
- **केंद्रित ऋण समाधान:** ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) का वित्तीय अधिकार क्षेत्र ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया गया, जिससे वे उच्च-मूल्य वाले मामलों को प्राथमिकता दे सकें और वसूली दक्षता में सुधार कर सकें।
- **RBI का तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु सावधानीपूर्ण ढाँचा:** तनावग्रस्त ऋणों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देता है, जिसमें ऋणदाताओं को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

भारत के बैंकिंग उद्योग में चुनौतियाँ

- **ऋण खातों में छिपा तनाव:** कम NPA आँकड़ों के बावजूद, वसूली नई चूक के अनुरूप नहीं रही है, विशेषकर महामारी-युग पुनर्गठन के बाद।
- **बेसल III संक्रमण:** बड़े बैंकों ने पूंजी बफर को सुदृढ़ किया है, लेकिन छोटे बैंकों को पूंजी पर्याप्तता, लीवरेज और तरलता मानदंडों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वित्तीय समावेशन की बाधाएँ:** ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार डिजिटल साक्षरता, कनेक्टिविटी और वित्तीय जागरूकता की कमी के कारण बाधित है।
- **बाज़ार एकाग्रता जोखिम:** निरंतर कंसोलिडेशन प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है, जिससे दीर्घकाल में ग्राहक विकल्प, नवाचार और दक्षता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **संतुलित कंसोलिडेशन:** भविष्य के विलयों को केवल आकार विस्तार के बजाय पूरक भौगोलिक क्षेत्रों, तकनीकी संगतता और संचालनात्मक तालमेल को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना:** डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय साक्षरता और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में निवेश आवश्यक है ताकि पहुँच को सार्थक उपयोग में बदला जा सके।
- **साइबर सुरक्षा प्रबंधन:** वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी, स्ट्रेस टेस्टिंग और साइबर लचीलापन ढाँचे की आवश्यकता है।

Source: FE

संक्षिप्त समाचार

सरदार वल्लभभाई पटेल

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष **सरदार वल्लभभाई पटेल** को उनकी 75वीं पुण्यतिथि (15 दिसंबर 1950) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे।
- उन्हें भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का शिल्पकार और आधुनिक सिविल सेवाओं, विशेषकर **भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)** की स्थापना के पीछे प्रमुख शक्ति माना जाता है।
- उन्होंने विभिन्न संवैधानिक समितियों की अध्यक्षता की, जैसे मौलिक अधिकारों पर परामर्श समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति।

- उन्हें मरणोपरांत 1991 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया।

भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- **खेड़ा सत्याग्रह, 1917:** गुजरात के खेड़ा ज़िले में एक प्रमुख स्थानीय नेता के रूप में पटेल ने महात्मा गांधी का अन्यायपूर्ण भू-राजस्व करों के विरुद्ध सत्याग्रह आयोजित करने में समर्थन किया।
- **असहयोग आंदोलन, 1920-22:** पटेल ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लगभग 3 लाख सदस्यों की भर्ती की और 15 लाख रुपये एकत्रित किया।
  - उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के उपयोग को आर्थिक एवं सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया।
- **बारडोली सत्याग्रह, 1928:** बारडोली सत्याग्रह के दौरान पटेल ने अकाल और बढ़े हुए भू-करों से पीड़ित स्थानीय जनता का समर्थन किया।
- **नागरिक अवज्ञा आंदोलन, 1930-34:** उन्होंने ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध **नमक सत्याग्रह** में सक्रिय भाग लिया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन, 1942:** उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध और हड़तालों का आयोजन किया तथा पूरे भारत में प्रभावशाली और जोशीले भाषण दिए, जिससे लोगों को जन-आंदोलनों में शामिल होने, नागरिक अवज्ञा करने, कर भुगतान का बहिष्कार करने एवं सिविल सेवाओं को बंद करने के लिए प्रेरित किया।

क्या आप जानते हैं?

- 2014 से **राष्ट्रीय एकता दिवस** प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है।
- **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी**, विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा, 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर अनावरण की गई।
- **सिविल सेवा दिवस** 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बैच के सिविल सेवकों को 1947 में सरदार पटेल के संबोधन की स्मृति में है।

स्रोत: DDNews

बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य

संदर्भ

- छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जुड़िया पारा में आयोजित एक ग्राम उत्सव के दौरान पारंपरिक **बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य** प्रस्तुत किया गया।

परिचय

- **प्रस्तुतकर्ता:** बस्तर, छत्तीसगढ़ के **डंडामी माडिया (मारिया/गौर मारिया)** जनजाति।
  - यह नृत्य पुरुष और महिलाएँ दोनों गाँव के उत्सवों और प्रमुख सामुदायिक अवसरों पर करते हैं।
- **वेशभूषा:**पुरुष नर्तक बाँस से बने सींग के आकार के सिर पर पहनने वाले आभूषण पहनते हैं, जिन्हें बाइसन के सींग, पंख, शंख और चमकीले कपड़े की पट्टियों से सजाया जाता है।
  - महिलाएँ पीतल के मुकुट और भारी हार पहनती हैं।
- **वाद्ययंत्र:** गले में लटकाए गए लकड़ी के ड्रम तालबद्ध ध्वनि प्रदान करते हैं।
- **प्रस्तुति:** पुरुष बाइसन के दौड़ने और शिकार करने की नकल करते हैं, जबकि महिलाएँ अक्सर डंडों के साथ उनके साथ तालमेल में, अनुष्ठानिक ढंग से नृत्य करती हैं।
- अनुष्ठानिक मंत्रों में **बुधदेव** और **दंतेश्वरी माई** जैसी देवियों का आह्वान किया जाता है, जो आध्यात्मिक निरंतरता को सुदृढ़ करता है।

Source: TH

ब्रिज समिट 2025

संदर्भ

- **ब्रिज समिट 2025**, विश्व का सबसे बड़ा पदार्पण मीडिया कार्यक्रम, तीन दिवसीय कार्यक्रम के बाद **अबू धाबी नेशनल एग्ज़िबिशन सेंटर** में संपन्न हुआ।

परिचय

- **ब्रिज समिट** एक अद्वितीय आयोजन है जो मीडिया और मनोरंजन से संबंधित उद्योगों के पूरे दायरे के लिए सम्मेलन और प्रदर्शनी दोनों के रूप में कार्य करता है।
- यह हज़ारों रचनाकारों, संचारकों, ब्रांडों, नेताओं एवं निर्णयकर्ताओं को एक स्थान पर एकत्र करता है ताकि वे सामूहिक रूप से एक अधिक मूल्यवान, जुड़ा हुआ और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।
- **ब्रिज एलायंस** एक वैश्विक संगठन है जो मीडिया, तकनीक, राजनीति, वित्त और रचनात्मक उद्योगों के नेताओं को एकजुट करता है ताकि विश्व के मीडिया, मनोरंजन और कंटेंट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक जुड़ा हुआ, लचीला एवं दूरदर्शी ढाँचा तैयार किया जा सके।

स्रोत: DD News

सुपरनोवा स्टेंट्स

समाचार में

- **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली** ने स्ट्रोक उपचार के लिए एक नए और उन्नत उपकरण **सुपरनोवा स्टेंट** का भारत का प्रथम नैदानिक परीक्षण किया।
  - स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह किसी थक्के या रक्त वाहिका के फटने से बाधित हो जाता है, जिससे संभावित मस्तिष्क क्षति हो सकती है।

परिचय

- **सुपरनोवा स्टेंट-रिट्रीवर** एक उन्नत थक्का-निकासी उपकरण है जो कई प्रकार के रक्त थक्कों को हटा सकता है, अवरुद्ध धमनियों को अधिक प्रभावी ढंग से खोल सकता है और स्ट्रोक रोगियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है।
- **GRASSROOT ट्रायल (बड़े वेसल ऑक्लूजन स्ट्रोक के रीपरफ्यूजन के लिए ग्रेविटी स्टेंट-रिट्रीवर सिस्टम)**, जिसका नेतृत्व AIIMS दिल्ली ने आठ भारतीय केंद्रों में किया, ने वास्तविक परिस्थितियों में इस उपकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि की।

स्रोत: AIR

FDA द्वारा गोनोरिया के उपचार के लिए दो ओरल थेरेपी को स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- **अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA)** ने हाल ही में गोनोरिया के उपचार के लिए दो नई ओरल थेरेपी को स्वकृति दी है।

परिचय

- **गोनोरिया** एक रोके जाने योग्य और उपचार योग्य यौन संचारित संक्रमण है, जो जीवाणु **निसेरिया गोनोरिया (नेइसेरिया गोनोरहोई)** के कारण होता है।
- वर्ष 2020 में विश्वभर में वयस्कों में अनुमानित **82.4 मिलियन नए संक्रमण** दर्ज किए गए।
- गोनोरिया के प्रति **एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध** एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है, जिससे कई वर्गों की एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हो रही हैं और इसके असाध्य होने का जोखिम बढ़ रहा है।
- गोनोरिया गर्भवती माँ से उसके शिशु तक भी पहुँच सकता है।
- **निदान:** आणविक परीक्षण (Molecular Tests), ग्राम स्टेन माइक्रोस्कोपी।

Source: CNN

पोंडुरु खादी

समाचार में

- **आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले का पोंडुरु खादी** को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की मान्यता प्राप्त हुई है।

परिचय

- **पोंडुरु खादी** एक हस्तनिर्मित कपड़ा है, जो मुख्यतः स्थानीय रूप से उगाई गई छोटी किस्म की, पहाड़ी प्रकार की, कीट-प्रतिरोधी कपास से बनाया जाता है।
- यह कपास रासायनिक-मुक्त खेती की प्रथाओं को सक्षम बनाती है, जिससे सतत कृषि और क्षेत्र की पारंपरिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन विधियों को बढ़ावा मिलता है।

GI टैग क्या है?

- GI टैग उन उत्पादों की रक्षा करता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताओं को सुनिश्चित करता है।
- भारत में इसे **भौगोलिक संकेतक वस्तुओं (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

स्रोत: TH

महाक्राइमOS AI

संदर्भ

- **माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्य नडेला** ने महाराष्ट्र पुलिस के लिए इसके AI-संचालित जांच प्लेटफ़ॉर्म **"महाक्राइमOS AI"** के राज्यव्यापी रोलआउट की घोषणा की।

महाक्राइमOS

- प्लेटफ़ॉर्म **महाक्राइमOS AI** महाराष्ट्र सरकार और इसकी विशेष AI पुलिसिंग पहल **MARVEL (महाराष्ट्र अनुसंधान और सतर्कता उन्नत कानून प्रवर्तन के लिए)** के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया।
- महाक्राइमOS AI शिकायतों को किसी भी प्रारूप में ग्रहण कर सकता है, जैसे PDF, ऑडियो, हस्तलिखित नोट्स या चित्र, और फिर बहु-मॉडल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी भी भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी निकालता है।
- यह प्रणाली जांच मार्गों को अनुकूलित करती है, विश्लेषण को स्वचालित करती है और रुचि रखने वाले व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग अभूतपूर्व गति और दक्षता के साथ करती है।

मार्वल(MARVEL)

- **MARVEL** एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) सरकारी इकाई है, जिसे 2024 में पुलिसिंग में AI-आधारित समाधान पेश करने के लिए बनाया गया।
- MARVEL को पुलिस खुफिया को मजबूत करने, अपराध पूर्वानुमान में सुधार करने और जांच विधियों का आधुनिकीकरण करने के लिए स्थापित किया गया था, जिससे महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने कानून प्रवर्तन के लिए एक स्वतंत्र AI निकाय बनाया।

स्रोत: IE

लूनरक्रीट

संदर्भ

- शोधकर्ता **लूनरक्रीट** विकसित कर रहे हैं, जो चंद्रमा की सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया कंक्रीट है, और चंद्रमा पर दीर्घकालिक आवासों के लिए सतत समाधान प्रदान करता है।

लूनरक्रीट क्या है?

- **लूनरक्रीट** 'चंद्रमा पर बना कंक्रीट' के लिए प्रयुक्त एक व्यापक शब्द है।
  - यह एक प्रस्तावित निर्माण सामग्री है, जिसे पृथ्वी-आधारित रेत और बजरी के बजाय **चंद्रमा की मृदा (लूनर रेगोलिथ)** को प्राथमिक एग्रीगेट के रूप में उपयोग करके बनाया जाता है।
- **उद्देश्य:** यह **इन-सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन (ISRU)** का समर्थन करता है, जिससे चंद्रमा पर आवास, लैंडिंग पैड और सड़कों का निर्माण संभव हो सके, बिना पृथ्वी से सामग्री ले जाए।
- **महत्व:** यह विकिरण से बचाव, सूक्ष्म उल्कापिंडों से सुरक्षा और दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए तापीय इन्सुलेशन प्रदान कर सकता है।
  - इसे भविष्य के चंद्र अभियानों और स्थायी ठिकानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर **आर्टेमिस कार्यक्रम** जैसे मिशनों के अंतर्गत , और यह उभरती हुई अंतरिक्ष अवसंरचना प्रौद्योगिकियों के अनुरूप है।

Source: TH

■■■■